न्यूज ब्रीफ

एरोड्रम क्षेत्र में महिला पर कार रोककर मिर्ची फेंकी

इंदौर। विवाद के चलते कार सवार महिला ने एक अन्य महिला पर हमला करने की नीयत से मिर्ची फेंक दी। एरोड्रम थाने में फरियादी रोशनी पति राजेश शर्मा निवासी कृष्ण वाटिका छोटा बांगड़दा की शिकायत पर कार (एमपी-09 डीई-4913) की चालिका पर केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी कार से जा रही थी, लीड्स एनक्लेव के पास आरोपी महिला की कार ओवरटेक के दौरान उससे विवाद हो गया। तब आरोपी कार चालिका ने मुझे रोका और अपशब्द कहने लगी। रोशनी ने विरोध किया तो आरोपी महिला ने मिर्ची फेंक दी। उधर, राजीनामे को लेकर युवती से चार बदमाशों ने मारपीट की। राजेन्द्रनगर थाने में तेजपुर गड़बड़ी क्षेत्र में रहने वाली युवती ने आरोपी राजेश निवासी अहिरखेड़ी, संजय उर्फ कुतरी, राजेश उर्फ तोता और राजा उर्फ आंसू की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि केसरबाग ब्रिज के पास आरोपियों ने धमकाया था।

बाणगंगा क्षेत्र में फैक्ट्री से 35 लाख का माल गायब

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री का 35 लाख का माल गायब हो गया। मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। फरियादी अंकित सेकसरिया निवासी विजयनगर ने बताया कि उनकी सांवेर रोड पर क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स नाम से फैक्ट्री है। फैक्ट्री से सप्ताहभर पहले ट्रक चालक गणेश प्रसाद सतना और नरसिंहपुर का माल लोडकर ले गया था। सतना में 2 अक्टूबर और नरसिंहपुर में 4 अक्टूबर को माल पहुंचाना था, लेकिन ड्राइवर ने दोनों जगह माल की डिलीवरी नहीं कर अफरा-तफरी कर दी। 2 अक्टूबर से ड्राइवर का मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस जांच कर रही है।

राजपूत समाज का शस्त्र पूजन 12 अक्टूबर को

इंदौर। राजपूत धर्मशाला गौरी नगर में अगामी 12 अक्टूबर को शस्त्र पूजन और मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया।

बेहतर यातायात और दुर्घटना रोकने में मिलेगी मदद

शहर में चार नए ट्रैफिक थानों का प्रपोजल तैयार, शासन को भेजेंगे

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

आगामी सिंहस्थ को देखते हुए शहर में शीघ्र ही चार नए ट्रैफिक थाने खोलने के लिए प्रपोजल तैयार किया गया है। अगले सप्ताह स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। चारों थाने बाहरी मार्गों पर खोले जाएंगे। इससे बाहरी मार्गों से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी, वहीं बेहतर यातायात और दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सेंट्रल कोतवाली तथा एमओजी लाइंस में थाना संचालित हो रहा है। क्षेत्रफल के साथ वाहनों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिनोंदिन बढ़ोतरी भी होती जा रही है। करीब 31 लाख में से रोजाना सड़कों पर 12 से 15 लाख वाहन चलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वाहन चलने से उन पर नजर रख पाना मुश्किल हो जाता है। एक छोर से दूसरे छोर तक

शहर 10 से 12 किलोमीटर तक फैला है।

यहां खुलेंगे नए भवन

रोजाना उज्जैन, देवास, खंडवा, धार की ओर सैकड़ों छोटे-बड़े वाहनों, बसें, ट्रक आवाजाही करते हैं। इन मार्गों पर ट्रैफिक जवान शहरी सीमा में प्रमुख चौराहों पर पदस्थ रहते हैं। नए थाना भवन धरमपुरी रोड, तेजाजी नगर, मांगलिया बायपास, राऊ में खोले जाएंगे।

850 बल की स्वीकृति है स्टाफ केवल 715 का ही

धीरे-धीरे महानगर की ओर बढ़ रहे इंदौर में ट्रैफिक विभाग में बल की लंबे समय से कमी बनी हुई है। शासन की ओर से 850 बल की स्वीकृति है, लेकिन केवल 715 का स्टाफ है, जबकि आवश्यकता 2 हजार की है। इसमें पुलिस उपायुक्त से लेकर ऑफिस वर्क करने वाले जवान भी शामिल हैं। इसमें भी करीब छह माह पहले 110 नए जवानों की नियुक्ति की गई थी। इतना कम स्टाफ होने से ट्रैफिक सुधार में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वीआईपी आने, तीज-त्योहार आदि पर बल का विभाजित किया जाता है।

बल के अभाव में हर चौराहे पर नजर नहीं

कई ऐसे चौराहे हैं, जहां अलसुबह से लेकर देर रात तक हजारों वाहन गुजरते हैं। रोजाना जाम लगने, दुर्घटनाएं होती हैं। बल के अभाव में ट्रैफिक दबाव वाले चौराहों पर जवान तैनात नहीं किए जाते हैं, जिससे वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं।

दोनों थाना भवनों की इमारतें कमजोर

चालानी कार्रवाई कर शासन को प्रतिवर्ष लाखों रुपए राजस्व दिलाने वाला ट्रैफिक विभाग के दोनों थाने पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं। सबसे खराब स्थिति एमओजी लाइंस थाना भवन की है। यहां भवन के आसपास बारिश में जलजमाव हो जाता है।

...ताकि यातायात सुधार में मदद मिल सके

चार नए थानों का प्रपोजल तैयार किया है। शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। आवश्यकतानुसार बल की भी मांग की जाएगी, ताकि यातायात सुधार में मदद मिल सके।

– अरविंद तिवारी, पुलिस उपायुक्त।

इंदौर। दुर्गा नवमी, रावण दहन और दशहरा पर्व को देखते हुए चंदन नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में फ्लैगमार्च निकाला। पीपुल्स समाचार

मानसिक विकलांग बाल गृह से गायब

इंदौर। हीरानगर इलाके के बाल गृह समाज कल्याण से 10 साल का बच्चा लापता हो गया। फरियादी विनोद पिता गप्पूलाल निवासी महू ने बताया कि मानसिक रूप से बच्चा अभिषेक बाल गृह समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा में रह रहा था। शनिवार दोपहर बच्चा वहां से लापता हो गया था।

बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे का न्यूड फोटो वायरल

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे के साथ मार्च माह में तीन कॉमन फ्रेंडों ने अप्राकृतिक कृत्य किया और बाद में न्यूड फोटो वायरल कर दिया। जब बिजनेसमैन के पास वीडियो पहुंचा तो उन्हें सारी घटना की जानकारी लगी। जानकारी लगते ही वे बेटे को लेकर पहले तो तीनों नाबालिग दोस्तों के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों का झगड़ा भी हुआ। बाद में शनिवार देर रात तेजाजी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक... पीड़ित बच्चा शहर के एक बड़े स्कूल में 10वीं का छात्र है। बच्चे के पिता ने बताया कि 2 अक्टूबर को बेटे के वॉट्सअप पर वीडियो आया। इस समय उसका मोबाइल उनके पास था। उन्होंने वीडियो देखा तो बेटे को दो लड़के दौड़ाकर नीचे गिरा रहे हैं। इसके बाद उसके कपड़े उतारे, जिसमें बेटा न्यूड दिख रहा है। व्यापारी ने बताया कि जब उन्होंने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि मामला 20 मार्च का है। वह लिंबोदी इलाके में टर्फ पर गया था। शाम 7 बजे दो दोस्तों ने उसे पकड़ा और गिराकर कपड़े उतार दिए। तीसरे ने वीडियो बनाया। डर की वजह से उसने यह बात किसी को नहीं बताई।

कॉमन फ्रेंडों ने बनाया था, मार्च में हुई थी घटना

आरोपियों में एक छात्र के स्कूल का दोस्त

टीआई देवेंद्र मरकाम ने बताया कि आरोपियों में एक लड़का छात्र के स्कूल का दोस्त है, बाकी दो उसके साथी हैं। नोटिस देकर तीनों को थाने बुलाया जाएगा। आरोपियों ने छात्र से रुपए लिए या नहीं... इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।

पिता के बाद बेटे ने भी दम तोड़ा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

दूषित राजमा चावल खाने के बाद दो बेटे और उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 7 दिन पहले पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद एक बेटे की छुट्टी हो गई, जबकि दूसरा उपचाररत था। उपचाररत बेटे ने भी रविवार को दम तोड़ दिया। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम दक्ष पिता मुकेश मौर्य (13) है। दक्ष को पिछले शुक्रवार की देर रात एमवाय अस्पताल में भर्ती करायार गया था। परिजन के अनुसार दक्ष, उसके पिता मुकेश और छोटे भाई की देर रात तबीयत बिगड़ी थी। तीनों को उल्टियां हुईं। उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां छोटे भाई की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन मुकेश और दक्ष की हालत बिगड़ने पर उन्हें एमवाय भेजा गया था।

दूषित राजमा-चावल खाने के बाद हुए थे भर्ती

8वीं क्लास का स्टूडेंट था

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक दक्ष आठवीं क्लास का स्टूडेंट था। उसके पिता पेटमॉल शॉप पर काम करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने राजमा चावल खाया था। इसके बाद सो गए। देर रात ढाई बजे उन्हें उल्टियां हुई थी। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पुलिस यह पता कर रही है कि परिवार ने जो राजमा चावल खरीदा था, वह एक्सपायरी डेट का था या नहीं।

एडिशनल कमिश्नर ने किया हरी झंडी देकर रवाना

पर्व व त्योहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति दल गठित

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

शहर में महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण तथा नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा पंडालों व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नई पहल की है। पुलिस द्वारा शहर के सभी थाना क्षेत्रों में महिला पुलिस बल को लेकर थानावार शक्ति दलों का गठन किया गया है। शनिवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा शक्ति दलों को ब्रीफ कर हरी झंडी देकर रवाना किया गया।

सिंह ने बताया कि ये शक्ति दल नवरात्रि पर्व के दौरान प्रत्येक दिवस भक्ति स्थलों, जैसे- गरबा पंडाल, भजन संध्या, कन्या पूजन, भंडारा आदि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आसपास तैनात रहेंगी और लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने एवं नवरात्रि के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए शक्ति दलों का गठन प्रत्येक थानावार किया गया है। इसमें प्रत्येक थाने से 4-5 महिला पुलिसकर्मियों और नगर सुरक्षा समिति की महिला सदस्यों के साथ टू व्हीलर पर तैनात रहेंगी। ये दल धार्मिक कार्यक्रम स्थल पर लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी और मनचलों, छेड़छाड़ करने वालों के अलावा कार्यक्रम के आसपास नशा करने वालों व रास्तों-गलियों पर संदिग्ध दिखने वालों पर कार्रवाई करेंगी। सिंह ने बताया कि ये दल वहां उपस्थित लड़कियों, महिलाओं व आयोजक महिलाओं से संवाद भी बनाए रखेंगी।

कृष्ण रासलीला का किया वर्णन

इंदौर। शालीमार बांगलो पार्क के अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल ने बताया कि नवरात्रि पर कॉलोनी के बालिकाओं ने कृष्ण रासलीला की वहीं महिलाओं ने भी दाद बटोरी। उपाध्यक्ष नीता देशमुख ने संचालन किया। नवरात्रि पर पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्यों के साथ सभी रहवासी भी उपस्थित रहे।

गंभीर बीमारी से पीड़ित युवती से रेप का मामला

शिक्षक को इशारों में बताई हकीकत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में ऑटिज्म नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित युवती ने मौसेरे भाई के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल में उपचाररत युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की हकीकत शिक्षक और मां को इशारे में बताई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि बेटी को बचपन से ऑटिज्म की बीमारी है। वह बोल-सुन नहीं सकती। इशारों में बात करती है। इसी महीने उनके मायके में रिश्तेदार का देहांत हो गया। 2 अक्टूबर को वह बेटी के साथ इंदौर में मां के यहां आकर रुकी। यहां उनकी बहन (मौसी की बेटी) भी आई हुई है। बहन के बेटे ने ही बेटी के साथ गलत किया है। 3 अक्टूबर को परिवार के लोग हॉल में बैठे हुए थे। बेटी ने तभी बहन को इशारों में बताया था।

ऑटिज्म न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशन है

ऑटिज्म न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशन है। इससे प्रभावित लोगों का जीवन कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याओं के कारण दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होता है। आमतौर पर ऑटिज्म का पता बहुत देर से चल पाता है। यही वजह है कि इससे प्रभावित लोगों की कंडीशन बिगड़ती चली जाती है, जबकि इस बीमारी में जानकारी और जागरूकता ही सबसे कारगर उपाय है। इसका कोई इलाज या दवा उपलब्ध नहीं है। ऑटिज्म को एएसडी यानि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इससे प्रभावित हर व्यक्ति को ऑटिज्म के लक्षण अलग तीव्रता से महसूस हो सकते हैं।

कोष्टी समाज का गरबा महोत्सव

इंदौर। कोष्टी समाज का गरबा महोत्सव सुरभि गार्डन में शाम 7 से 11 बजे तक आयोजित किया गया। समाज अध्यक्ष जितेंद्र कौल और सचिव महेश वर्मा ने बताया कि पारंपरिक वेशभूषा में संपूर्ण समाज के लोग इसमें उपस्थित हुए। शुरुआत में महिला, पुरुष व छोटे बच्चों ने गरबा कर मां की आराधना की। आयोजन में परंपरागत वेशभूषा धारण किए कपल, छोटे बच्चे व वरिष्ठजन का उनकी श्रेष्ठ वेशभूषा के आधार पर समान किया गया। मुख्य अतिथि महापौर भार्गव, अनिल नंदलाल, निखिल परेता, विजेन्द्र ग्रेवाल थे।

ट्रैफिक सूबेदार के बेटे को ठगने का किया प्रयास

गिरफ्तारी की बात कर पैसे ऐंठने किया था कॉल

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

पुलिस की तमाम जागरूकता के बाद भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। ठग भी लगातार कॉल कर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। ऐसा ही एक कॉल ट्रैफिक सूबेदार के पास आया। इसमें कहा कि उनके बेटे को गिरफ्तार करने का झांसा देकर पैसा ऐंठने की कोशिश की। सूबेदार की सजगता से ठग सफल नहीं हो सका।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक... पश्चिम यातायात थाने के सूबेदार सुमित बुधौलिया को दो दिन पहले अनजान नंबर से वॉट्सअप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि एक लड़की से गलत हरकत करने के मामले में उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें बताया कि बेटे को कोर्ट में पेश करने के साथ उसे मीडिया के सामने ले जाएंगे। अगर इस बात से बचना है तो उन्हें 50 हजार रुपए देना होंगे। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले युवक ने तीन मिनट तक बात की। सूबेदार सुमित को कॉल करने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर उनके बेटे के नंबर पर कॉल किया तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि, सुमित समझ गए थे कि उक्त कॉल फर्जी है और वे कॉल करने वाले के झांसे में नहीं आए। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और इस तरह के कॉल से बचने के तरीकों के बारे में बताया।

पुलिस अफसर को भी आया था कॉल

कुछ दिन पहले पुलिस अफसर सीमा अलावा को भी इसी तरह का कॉल आया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह बात बताई भी थी। उन्होंने मैसेज में कहा था कि कॉल पर थाने में जो हो-हल्ला हो रहा था, उसकी क्या तारीफ करूं। सूबेदार ने साइबर हेल्पलाइन में अज्ञात काल करने वाले की शिकायत की है।

टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

TYG HOME FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : शिखर, मीठाखली सर्कल के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय : वन बीकेसी, सी-विंग, 1004/5, 10वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051, महाराष्ट्र, भारत
CIN: U65999GJ2017PTC098960, website : www.adanihousing.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता/गारंटर ने टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स अदाणी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 6 जून 2024 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, जिसे आगे 'THFPL' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर ऋण/सुविधाओं का लाभ उठाया है। आपके चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसकी विषय-वस्तु अधिनियम की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

उधारकर्ता का नाम / सह-उधारकर्ता / गारंटर / ऋण खाता संख्या / पुराना ऋण खाता संख्या।	बंधक संपति का पता	डिमांड नोटिस दिनांक / O/s राशि /O/s दिनांक
गोकुल सिंह मांडोत / सुमन बाई / 808HLL001106345	मकान क्रमांक 141 का वह पूरा टुकड़ा, जो वार्ड क्रमांक 19, गांव डिंगों, ग्राम पंचायत धंधेड़ा, पीएच क्रमांक 12, तहसील नलखेड़ा जिला-आगर मालवा में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 5900 वर्ग फीट है, जो निम्नानुसार घिरा है:- पूर्व- गली फिर श्री प्रभुलाल जी का मकान, पश्चिम- सड़क 15 फीट, उत्तर- श्री कैलाश भारती पुत्र श्री शंकर भारती का मकान, दक्षिण- श्री लाल सिंह पुत्र श्री भवर सिंह का मकान	14-सितम्बर-24/ रु.1602547/- दिनांक 14-सितम्बर-24 तक
बशीर खा / नूर बानो बी/सलमा बी / 808HLL001119490	वार्ड क्रमांक 14 मंत्री कॉलोनी, कानड़ पी.एच. क्रमांक 28, तहसील और जिला आगर मालवा में स्थित सर्वे क्रमांक 1009/1/1/2 भूमि के हिस्से पर एक प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 92.93 वर्ग मीटर, जो निम्नानुसार है:- पूर्व- सीसी रोड 20 फीट, पश्चिम- श्री बाबूलाल जी पुत्र श्री अजीत सिंह का मकान, उत्तर- श्री योगेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण का मकान, दक्षिण- श्री राजेश परिहार का प्लॉट	14-सितम्बर-24/ रु.1624616/- दिनांक 14-सितम्बर-24 तक
भेरू सिंह/रीना बाई/ 8180HL001144598	आवासीय मकान क्रमांक 15 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट, पीएच 55/107, वार्ड क्रमांक 05 मालती मोहल्ला ग्राम डांगोधा तहसील और जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है, जो निम्नानुसार है:- पूर्व- 25 फीट रोड, पश्चिम- बजरंग नगर, उत्तर- सद्दाम पुत्र बाबू भाई का मकान, दक्षिण- गम्मू हाजी जी की जमीन	14-सितम्बर-24/ रु.1640961/- दिनांक 14-सितम्बर-24 तक
ललिता बाई/भेरू लाल/ 8080HL001096262	मकान क्रमांक 1111 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जो प्लॉट क्रमांक 64, भागीरथपुरा इंदौर (म.प्र.) पर निर्मित है, भूमि का माप 40*10, क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट (37.16 वर्ग मीटर) है, जो निम्नानुसार घिरा है:- पूर्व- गली/नाली, पश्चिम- 13 फीट रोड, उत्तर- बद्रीप्रसाद का मकान, दक्षिण- चंद्रप्रकाश पुत्र एलटी नंदु का मकान	14-सितम्बर-24/ रु.1288102/- (822521+ 465581) दिनांक 14-सितम्बर-24 तक

इसलिए आप उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ताओं/गारंटर से अनुरोध है कि आप इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ब्याज के साथ ऊपर उल्लिखित मांगी गई राशि का भुगतान करें, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्ति को भुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 07.10.2024
अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

टाइगर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए
एस डी/-
प्राधिकृत अधिकारी

kotak **कोटक महिन्द्रा बैंक लि.**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई-400 051 महा.:
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इन्फिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इन्फिनिटी पार्क, डब्ल्यू ई हाईवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 महा.:
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पांचवीं मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर म.प्र.-452001

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। जिसे "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/मार्टगेजर(रों) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि
ऋण खाता क्रमांक LAP188779486 (CRN क्रमांक 743313703) करण बुक सेंटर अपनी प्रोपराइटर श्रीमती पूजा बड़के (उधारकर्ता) दुकान क्रमांक 10, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. माँ शारदा साहित्य सदन अपने प्रोपराइटर श्री पवन बड़के (सह-उधारकर्ता) दुकान क्रमांक 14, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. श्रीमती पूजा बड़के (सह-उधारकर्ता/मालिक/बंधककर्ता) श्री पवन बड़के (सह-उधारकर्ता/मालिक/बंधककर्ता) दुकान क्रमांक 10, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 एम.पी. इसके अलावा: फ्लैट क्रमांक 309, तीसरी मंजिल श्री कल्याणम रेजीडेंसी नंदलालपुरा इंदौर 452001	मॉंग नोटिस दिनांक 22 सितम्बर 2023, रु. 22,16,230.20/- (रुपये बाईस लाख सोलह हजार दो सौ तीस और बीस पैसे मात्र) 22 सितंबर 2023 तक	आवासीय संपत्ति का यह पूरा टुकड़ा अपार्टमेंट क्रमांक 309 तीसरी मंजिल पर है जिसका क्षेत्रफल 440 वर्ग फीट यानी 40.89 वर्ग मीटर है। श्री कल्याणम रेजीडेंसी नामक बहुमंजिला इमारत में, जो वर्तमान में नंदलालपुरा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित नगर पालिका मकान क्रमांक 34, 35, और 36 में नगर पालिका मकान क्रमांक 40, 41, और 42 (पुराना क्रमांक 70 और 66) पर स्थित है। सीमा: पूर्व: अल्लावेली का घर, पश्चिम: सार्वजनिक मार्ग, उत्तर: अपार्टमेंट क्रमांक 308, दक्षिण: अपार्टमेंट क्रमांक 310	रु. 21,91,860/- (रुपए इक्कीस लाख इक्यानवे हजार आठ सौ साठ मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,19,186/- (रुपये दो लाख उन्नीस हजार एक सौ छियासी मात्र)	16/10/2024 11:00 AM - 12:00 PM दिनांक/नीलामी समय 25/10/2024 11:00 AM - 12:00 PM बोली वृद्धि राशि 50,000/- प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 24/10/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :
(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट देख सकते हैं यानी https://www.bankeauctions.com ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर: 9948182222 और ई-मेल आईडी: mpcg@c1india.com और support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे केएमबीएल को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (https://www.bankeauctions.com) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा 15 दिनों का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निर्वहन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351 पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें। विशेष निर्देश:- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता। किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान: इंदौर (एम.पी.) दिनांक : 07.10.2024

हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड